**FROM No.III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

पदमाराम बनाम रूपाराम वगैरह

किस्म मुकदमा ना० दावे० 111,128 RLRAct नं. 339/19 सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07/11/19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पुनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/12/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 10/12/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल होकर तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/12/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 30/12/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 तथा 5 से 25 के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-3 व 4 के नोटिस तामिल होकर तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 24/03/2020 को पेश हो। [initials] | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:20:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप...
.../आवेदन/2020/435
...अन्य आवेदन संख्या -339/2019
प्रार्थी
श्री पदनाराम पुत्र हरचन्दराम...
जाति-जाट,
निवासी-कोसी...
तहसील-...

24/03/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-19 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/06/2020 को पेश हो।/ह

17/06/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या- 3 व 4 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। शेष विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में तामील शुदा प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षीगण एक- बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लेकर सेट आये हुए हैं सेटों के मध्य जो पुरानी मार्ग व कोर आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिगड़ गये हैं जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेटों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेटों का ज्ञान करने हेतु पक्की पैमाबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या ~~अपने अधीनस्थ~~ सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाबन्दी करें। पालना रिपोर्ट मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर ... प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली ... होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर ...

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:20:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 435 दिनांक:– 23/6/2020

राजस्व आवेदन संख्या –339 / 2019

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
| --- | --- | --- |
| श्री पदमाराम पुत्र हरचन्दराम,<br>जाति–जाट,<br>निवासी–कोसरिया,<br>तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर | | श्री रूपाराम पुत्र मालाराम वगैरा 25<br>निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु,<br>जिला–बाड़मेर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कोसरिया पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 453 / 85 रकबा 36.12 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु। अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:– 23/6/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 436 - 40

**प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पदमाराम पुत्र हरचन्दराम।
4. विप्रार्थीगण श्री रूपाराम पुत्र मालाराम वगैरा 25।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

Sd/

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:20:34 IST
Reason: SelfAttested